कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 04.09.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–09 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामू पुत्र भगौती नि0 ग्राम बनपुरवा खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–298/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. नन्हके पुत्र झगरू नि0 ग्राम ककरहवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–235/21, 02. जोगिन्दर पुत्र जगन नि0 खिरौरा मोहन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–236/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.06.2021

लूट/चोरी/नकबजनी की योजना बनाते समय 03 अभियुक्त गिरफ्तार, लूट/चोरी करने के उपकरणों के साथ 02 अदद अवैध तमंचा व चाकू भी बरामदः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चोरो/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर सिरसा मंदिर के पीछे से 03 अभियुक्तों– 01. पंकज पाण्डेय, 02. राम सेवक उर्फ गुल्ले यादव, 03. लवकुश यादव को लूट/चोरी/नकबजनी की योजना बनाते समय गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट/चोरी/नकबजनी करने के उपकरण बरामद किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त पंकज व अभियुक्त रामसेवक उर्फ गुल्ले के कब्जे से 01–01 तमंचा 315 बोर मय 01–01 जिन्दा कारतूस व अभियुक्त लवकुश के कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध थाना नवाबगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. पंकज पाण्डेय पुत्र बलराम पाण्डेय नि0 नरेन्द्रपुर कोल्हमपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. रामसेवक उर्फ गुल्ले यादव पुत्र राजेन्द्र यादव नि0 कोल्हमपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. लवकुश यादव पुत्र ज्ञानेन्द्र यादव नि0 कोल्हमपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–280/21, धारा 398,401 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–281/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–282/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–283/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।
02. 01 अदद नाजायज चाकू।
03. लूट/चोरी/नकबजनी करने के उपकरण।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 सुनील कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 04.09.2021

ऑपरेशन गैंगेस्टर' के तहत चोरी/नकबजनी करने का अभ्यस्त गैंगेस्टर गिरफ्तार, नाजायज गांजा व चाकू भी बरामदः–

15 अगस्त 2021 से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन गैंगेस्टर' के तहत पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने शातिर गिरोहबंध अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर गैंगेस्टर की कार्यवाही करने तथा उनकी गिरफ्तारी करने के निर्देश समस्त थाना प्रभारियो को दिया था। जिसके अंतर्गत आज थाना छपिया पुलिस ने चोरी/नकबजनी करने के अभ्यस्त 01 गिरोहबंध अपराधी को गिरफ्तार किया है।

थाना छपिया पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त शक्ति विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 500 ग्राम नाजायज गांजा व 01 नाजायज चाकू भी बरामद किया गया। उक्त आरोपी एक अभ्यस्त अपराधी है जिसका एक संगठित गिरोह है जो अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए चोरी व नकबजनी जैसे अपराधों में लिप्त है। 15 अगस्त 2021 से चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में अब तक 47 अभ्यस्त एवं शातिर गिरोहबन्ध अपराधियों के विरूद्ध गैंगेस्टर की कार्यवाही की गयी है जिनमें से कुल 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया चुका है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यह अभियान निरन्तर जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. शक्ति विश्वकर्मा पुत्र सोहनलाल विश्वकर्मा नि0 ग्राम खालेगांव थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–241/21, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–247/21, धारा 8/20, एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–248/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 विनय कुमार पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 04.09.2021

थाना करनैलगंज द्वारा एक वाहन चोर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में वाहन चोरो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने मोटरसाईकिल चोर अवधेश पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 01.09.2021 को बालकराम पुरवा में वादी उमेश चन्द्र मिश्रा की मोटरसाईकिल चोरी करने का प्रयास किया था। जिसको वहां पर मौजूद लोगो द्वारा पकड़ लिया गया था। पूछताछ के दौरान उक्त अभियुक्त लोगो को चकमा देकर फरार हो गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अवधेश पाण्डेय पुत्र स्व0 योगेन्द्र नाथ पाण्डेय नि0 उसैर मौजा दिनारी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः–

01. मु0अ0सं0–317/21, धारा 379,411 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीमः–

उ0नि0 उमेश सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 04.09.2021

गैरइरादतन हत्या करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने गैरइरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त गंगाराम कोरी पुत्र संतराम कोरी नि0 ग्राम अढमलपुर बेइलिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने खेतों के चारो ओर कटीले तार लगाये थे जिसमें बिजली प्रवाहित होने से वादी भीम पुत्र मिश्रीलाल नि0 ग्राम अढ़मलपुर बेइलिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के माता—पिता की मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. गंगाराम पुत्र संतराम नि0 बेइलिया अढमलपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—290/21, धारा 304 भादवि व 135 विधुत अधि0 थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 राघेवन्द्र सिंह मय टीम।